भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 159
25.11.2024 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति की परस्पर व्याप्त भूमिकाएं

159. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीओएस) को भंग करने के निर्णय के पीछे के कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार किस प्रकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संबंधी संचालन समिति और एससीओएस की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में परस्पर व्याप्ति का समाधान करने की योजना बना रही है;
(ग) एससीओएस को भंग करने के बाद विशेष रूप से सर्वेक्षण पद्धति, नमूना डिजाइन और डाटा सत्यापन के संबंध में एनएससी ने कौन-कौन सी अतिरिक्त भूमिकाएं और जिम्मेदारियां ग्रहण की हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय एससीओएस द्वारा पूर्व में किए गए परामर्शी कृत्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए एनएससी के अंतर्गत किसी नई समिति की स्थापना करने की योजना बना रहा है और यदि हाँ, तो ऐसी समितियों या कार्य समूहों की स्थापना की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की संस्तुति के अनुसार दिनांक 14.06.2024 के आदेश के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के विषय, परिणाम, पद्धति, प्रश्नावली आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों के समाधान और रूपरेखा की समीक्षा करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के लिए संचालन समिति का गठन किया है। एनएसएस की संचालन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ब्यौरा संरचना और विचारार्थ विषय सहित अनुबंध के विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 13.07.2023 के आदेश द्वारा गठित एससीओएस को विघटित कर दिया गया है क्योंकि संचालन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों संबंधित विचारार्थ विषयों (टीओआरएस) में यथा उल्लिखित एससीओएस के साथ परस्पर व्याप्ति है।

(घ): संचालन समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसरण में, एनएसएस संबंधी उद्यम सर्वेक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दिनांक 30.08.2024 से उद्यम सर्वेक्षण के लिए एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया गया और एनएसएस संबंधी घरेलू सर्वेक्षण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिनांक 30.08.2024 से घरेलू सर्वेक्षण हेतु एक तकनीकी सलाहकार

समूह (टीएजी) का गठन किया गया। ये टीएजी, आवश्यकतानुसार, संचालन समिति को सीधे रिपोर्ट करेंगे। टीएजी का कार्यकाल उनके गठन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा जब तक कि इसके कार्यकाल को एक उचित आदेश द्वारा बढ़ाया नहीं जाता है।

अनुबंध

दिनांक 25.11.2024 को उत्तरार्थ राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 159 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

संरचना और विचारार्थ विषय सहित विवरण निम्नानुसार हैं:

क. संचालन समिति की संरचना:

1.	प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर, अध्यक्ष (एनएससी)	अध्यक्ष
2.	प्रो. बिमल कुमार रॉय, पूर्व प्रोफेसर, आईएसआई कोलकाता	सदस्य
3.	डॉ. तथागत बंद्योपाध्याय, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद	सदस्य
4.	डॉ. टी. वी. रामनाथन, सांख्यिकी विभाग, एस. पी. पुणे विश्वविद्यालय	सदस्य
5.	प्रो. सोनल डे देसाई, प्रोफेसर, एनसीएईआर, नई दिल्ली	सदस्य
6.	डॉ. बिस्वनाथ गोल्डर, पूर्व प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली	सदस्य
7.	डॉ. मौसमी बोस, पूर्व प्रोफेसर, आईएसआई कोलकाता	सदस्य
8.	प्रो. एस. चंद्रशेखर, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई	सदस्य
9.	मुख्य आर्थिक सलाहकार, डीईए या उसके प्रतिनिधि [सुश्री अनुराधा गुरु, आर्थिक सलाहकार]	सदस्य
10.	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि[श्री रविशंकर, सलाहकार, आरबीआई]	सदस्य
11.	नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके प्रतिनिधि [सुश्री. अन्ना रॉय, प्रधान आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग]	सदस्य
12.	महानिदेशक (एनएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
13.	महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
14.	अपर महानिदेशक, सी और क्यूसीडी (पूर्व एससीडी), एनएसएस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
15.	अपर महानिदेशक, एचएसडी (पूर्व एसडीआरडी), एनएसएस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
16.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
17.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक सरकार	सदस्य
	उपमहानिदेशक, सी और क्यूसीडी, एनएसएस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	गैर -सदस्य सचिव

(नोट 1. उपर्युक्त क्रम संख्या 2 से 7 तक के सदस्य(सदस्यों) को आज की तिथि से गैर-सरकारी सदस्य(सदस्यों) के रूप में माना जाएगा।

नोट *2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, जहां सदस्यता पैरा 'क' में पदनाम आधारित नहीं है, संचालन समिति के ऐसे सदस्यों को उनके नाम से नामित माना जाएगा। क्रम संख्या* 12 *से* 17 *तक के सदस्यों को उनके पदनाम के अनुसार नामित माना जाएगा। इसके अलावा, क्रम संख्या* 9, 10 *और* 11 *के सदस्यों को उनके पदनाम के अनुसार नामित माना जाएगा या उनके संबंधित कार्यालयों से प्रतिनिधित्व किया जाएगा।*

ख. संचालन समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। संचालन समिति निम्नलिखित विचारार्थ विषयों (टीओआर) में निर्दिष्ट मामलों पर एनएससी को सिफारिशें करेगी।

क. मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना तथा समय-समय पर संचालन समिति के समक्ष लाए गए सभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से संबंधित विषय परिणाम/कार्यप्रणाली प्रश्नावली, प्रतिदर्श ढांचा, प्रतिदर्श डिजाइन, अवधारणाएं और परिभाषाएं, सर्वेक्षण उपकरण आदि पर उठाए गए मुद्दों का समाधान करना।

ख. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या बाह्य संस्थाओं द्वारा संचालन समिति के समक्ष लाए गए सभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से संबंधित विषय पद्धति आदि के संबंध में समय-समय पर उठाए गए मुद्दों या किसी अन्य मामले की जांच करना ।

ग. सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग डिज़ाइन, सर्वेक्षण उपकरण आदि सहित सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देना और सर्वेक्षणों की सारणीबद्ध योजना को अंतिम रूप देना।

घ. सर्वेक्षण परिणामों/रिपोर्टों को अंतिम रूप देना और जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

ङ. समय-समय पर डेटा संग्रह के लिए अनुसूचियों/प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले, यदि आवश्यक हो, तो प्रयोगात्मक सर्वेक्षण/पूर्व-परीक्षण आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

च. सर्वेक्षण/सांख्यिकी से संबंधित प्रशासनिक आंकड़ों के अध्ययन और उपलब्धता की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

छ. सर्वेक्षणों/सांख्यिकी के संबंध में डेटा अंतराल/अतिरिक्त डेटा आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के अध्ययन/पहचान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और सुधार के लिए उचित कार्यनीति का सुझाव देना।

ज. सर्वेक्षणों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य (जहां भी राज्य की भागीदारी है) स्तर की एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

झ. समय-समय पर संचालन समिति को भेजे गए सर्वेक्षणों/सर्वेक्षण परिणामों से संबंधित या प्रासंगिक किसी अन्य मामले पर विचार-विमर्श करना।

ग. संचालन समिति के पास, यदि आवश्यक हो, तो उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए कार्य समूह (समूहों) का गठन करने का प्रावधान होगा। इस प्रकार गठित कार्य समूह सीधे संचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे।

घ. एनएसएस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का समन्वय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग (पूर्व सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग) सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ऐसे कार्य समूह (समूहों) के गठन के लिए अलग से आदेश जारी करेगा और प्रशासनिक एवं वित्तीय उद्देश्यों के लिए ऐसे कार्य समूह (समूहों) को सभी अपेक्षित सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।
